भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1340

30.07.2026 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकी संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण

1340 **श्री विवेक के. तन्खाः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यानों और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीव आवासों पर पर्यटक वाहनों, जनरेटरों और साहसिक खेलों (एडवेंचर स्पोर्ट्स) गतिविधियों से उत्पन्न शोर के प्रभाव का आकलन किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्डों को प्राप्त ध्वनि उल्लंघन संबंधी शिकायतों की संख्या कितनी है तथा उन पर कितना जुर्माना लगाया गया है; और

(ग) क्या पारिस्थितिकी संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशिष्ट रात्रिकालीन ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें अधिसूचित करने हेतु क्या समय-सीमा प्रस्तावित है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग):

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा के लिए पूरे भारत में पर्यावरणीय शोर के स्तर के प्रबंधन के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा स्थापित किया गया है। उक्त नियमावली के तहत यह निर्धारित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त अथवा कोई भी अधिकारी जिसका पद पुलिस उप अधीक्षक से कम न हो, को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अलावा इन मानकों को लागू करने, सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा शोर से संबंधित व्यवधानों के निवारण

के संबंध में आदेश जारी करने के लिए "प्राधिकारी" के रूप में शामिल किया जाए, जिसके ब्यौरे का रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत भूमि को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत परिक्षेत्रों में वर्गीकृत करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जिसमें दिन और रात दोनों के लिए विशिष्ट डेसिबल सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इसके अंतर्गत लाउडस्पीकरों, संगीत वाद्ययंत्रों, निर्माण उपकरणों और पटाखे पर, विशेष रूप से रात के समय 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, उक्त नियम के तहत अस्पतालों, अदालतों और स्कूलों के चारों ओर 100 मीटर तक फैले क्षेत्रों को शांत परिक्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया हैं, जहां ध्वनि उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को सर्वाधिक सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।

इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता के प्रबंधन और संरक्षण के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र को पारि-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप में अधिसूचित करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र को संबंधित राज्यों में पारि-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारि-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसज़ेड) का सर्वेक्षण और पहचान की जाती है। राज्य सरकार के प्रस्तावों और अनुशंसाओं के आधार पर, मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जिससे ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार ईएसजेड में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण को अधिदेशित किया गया है, के तहत पारि-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसज़ेड) को अधिसूचित करता है।
